

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985

(1986 का अधिनियम संख्यांक 2)

[8 जनवरी, 1986]

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात के संवर्धन
के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का
और उसके सम्बन्धित
विषयों का उपबन्ध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अधीनस्थ भाग में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त
नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985
है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधि-
सूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए
भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं—इन अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित
न हो,—

(क) "प्राधिकरण" से धारा 4 के अधीन स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत
खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "निर्यात" से भूमि, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा भारत से बाहर
ले जाना अभिप्रेत है ;

(घ) "निर्यातकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 12 के
अधीन अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(ङ) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके
अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा
विहित अभिप्रेत है ;

(घ) अनुसूचित उत्पादों के सम्बन्ध में, "प्रसंस्करण" के अन्तर्गत ऐसे उत्पादों के परिरक्षण की प्रक्रिया, जैसे डिब्बों में भरना, ठण्डा करना, सुखाना, नमक लगाना, धुलना करना, छीलना या टुकड़े करना तथा प्रसंस्करण का कोई अन्य ऐसा ढंग है जो प्राधिकरण, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(ज) "विनियम" से इन अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(झ) "अनुसूचित उत्पाद" से अनुसूची में सम्मिलित कृषि या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में से कोई उत्पाद अभिप्रेत है ।

3. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में कोई कृषि या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, यथास्थिति, जोड़ सकेगी या उन्हा उन्हमें से लोप कर सकेगी और, यथास्थिति, ऐसे जोड़े जाने या लोप किए जाने पर ऐसा उत्पाद, अनुसूचित उत्पाद हो जाएगा या नहीं रहेगा ।

अध्याय 2

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

4. प्राधिकरण की स्थापना और उसका गठन—(1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा जिसका नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण होगा ।

(2) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला निगमित निकाय होगा जिसे जन्म और स्वावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उक्त उक्त पर वाद लाया जाएगा ।

(3) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा और प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में या भारत के बाहर अन्य स्थानों पर कार्यालय या प्राधिकरण स्थापित कर सकेगा ।

(4) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) भारत सरकार का कृषि निव्वयन सलाहकार, पदेन ;

(ग) एक सदस्य, जो योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(घ) सचिव के लेख सचिव, दिल्ली में भी लोक सेवा द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और एक राज्य सेवा द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ङ) एक सदस्य, जो योजना निव्वयन से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के सलाहकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे :—

271

- (ii) कृषि;
- (iii) विद्युत्;
- (iv) उद्योग;
- (v) वायु;
- (vi) वायुमय प्रवृत्ति;
- (vii) वायु विज्ञान;
- (viii) नौकहन और परिवहन;

(ग) पांच सदस्य, जो राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्तमानानुसार अनुक्रम से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे :

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई नियुक्ति, यथास्थिति, सम्बन्धित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार की सिफारिश पर की जाएगी ;

(घ) सात सदस्य, जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे :—

- (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्;
- (ii) राष्ट्रीय उमान-कृषि बोर्ड;
- (iii) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिषद्;
- (iv) केन्द्रीय वायु प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान;
- (v) भारतीय पकेजिंग संस्थान;
- (vi) मसला निर्यात संवर्धन परिषद्; और
- (vii) काजू निर्यात संवर्धन परिषद्;

(ज) चार सदस्य, जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

- (i) फल और वनस्पति उत्पाद उद्योग;
- (ii) मांस, कुक्कट-पालन और डेरी उत्पाद उद्योग ;
- (iii) अन्य अनुसूचित उत्पाद उद्योग ;
- (iv) पैकेजिंग उद्योग ;

परन्तु उपखंड (i) से (iii) तक में विनिर्दिष्ट उद्योगों के समूहों में से किसी का या उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में दो से कम नहीं होगी ;

(झ) दो सदस्य, जो कृषि अर्थशास्त्र और अनुसूचित उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

270

(5) उपधारा (4) के अधीन (7) के निर्दिष्ट सत्य में भिन्न सदस्यों की, पदाधि और ऐसे सदस्यों में होने वाली परिवर्तनों को भंगने की रीति तथा सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के निर्वाह में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जो निर्वाह की जाए।

(6) जब केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, उस सरकार द्वारा उस निमित्त प्रानियुक्त किया जाता है तब उसे प्राधिकरण के अधिवेशनों में उपस्थित होने और उसी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह न तो देने का हक्कार नहीं होगा।

(7) प्राधिकरण का या धारा 9 के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इन कारण अधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) प्राधिकरण या ऐसी समिति में कोई गति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) प्राधिकरण या ऐसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण या ऐसी समिति की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जिसका मामला के न्यायालय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(8) प्राधिकरण ऐसे मामलों और स्थानों पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कार्रवार के संस्कार के (जिनके अन्तर्गत उसके अधिवेशनों में सम्पत्ति भी है) सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा उपस्थापित किए जाएंगे।

5. अध्यक्ष का वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और सदस्यों के भत्ते—(1) अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्तों का हक्कार होगा तथा छुट्टी, पेंशन, शारीरिक निधि और अन्य विषयों की वास्तव सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर नियत की जाएं।

(2) प्राधिकरण के अन्य सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किए जाएं।

(3) पदेन सदस्य में भिन्न कोई अन्य केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर भत्ता पद त्याग सकते हैं और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकार कर लिए जाने पर उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भत्ता पद रिक्त कर दिया है।

6. अध्यक्ष का मुख्य कार्यपालक होना—अध्यक्ष, प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा और ऐसी शक्तियाँ का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विधि दिए जाएं।

7. प्राधिकरण का सचिव और अन्य कर्मचारियों—(1) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण के लिए एक सचिव नियुक्त करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो ऐसी कर्तव्यों का पालन करेगा जो विधि दिए जाएं या प्रत्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यापनी का दिए जाएं।

(2) सचिव ऐसे वेतन और भत्तों का हक्कार होगा तथा छुट्टी, पेंशन, शारीरिक निधि और अन्य विषयों की वास्तव सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर नियत की जाएं।

(3) प्राधिकरण ऐसे कर्मचारियों और निर्देशकों के प्रयोग रहने हुए, जो विधि दिए जाएं, ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जो

269

इसके अर्थों में इस प्रावधान के लिए आवश्यक हैं, और प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारियों, और कर्मचारियों की नियुक्ति का उद्यम, वेतनमान और भविष्य की सेवा की अन्य बातें ऐसी ही प्राधिकरण द्वारा, विनियमों द्वारा, उपबन्धित की जाएंगी।

(3) प्राधिकरण को अन्तर्गत अधिनियम और अधिकारी तथा कर्मचारी के बीच संस्कार की शक्तों के बिना इन अधिकारों के अधीन अपने कार्यों से अवैतनक निष्ठा करने का इरादा रखने में नहीं लेगा।

8. प्राधिकरण को कर्मचारियों का अंतरण करने के लिए विशेष उपबन्ध—

(1) प्राधिकरण की स्थापना पर, केन्द्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्वक होगा कि वह आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों या शर्तियों से जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएँ, ऐसे निम्न अधिकारी या अन्य कर्मचारी को, जो ऐसी शर्तों के, जिनमें प्राधिकरण स्थापित किया जाता है, ठीक पूर्व इत्यन्तक प्राथमिक नियमित संवर्धन परिपद में (जिनके इस भाग में इतके परन्तु परिपद कहा गया है) उन रूप में पर धारण कर रहा था, प्राधिकरण को स्थानान्तरित कर दे :

परन्तु प्राधिकरण में उस पर का, जिस पर वे अधिकारी या अन्य कर्मचारी का अंतरण किया जाता है, वेतनमान उस पर के वेतनमान से कम नहीं होगा जबकि वह ऐसे अंतरण के ठीक पूर्व धारण कर रहा था, और उस पर की, जिस पर उनका अंतरण किया जाता है, सेवा के अन्य विवरण और शर्तों (जिनके अन्तर्गत पेंशन, छुट्टी, भविष्य निधि और चिकित्सा प्रमुविधायण हैं) ऐसे अंतरण के ठीक पूर्व उसके द्वारा धारित पर से निर्धारित सेवा के नियमों और शर्तों से कम सम्बन्ध नहीं होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इन प्रकार किया जा सकेगा कि उसका ऐसी शर्तों से जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हों, प्रतिलक्षी प्रभाव हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन निम्न आदेश के जारी किए जाने के पूर्व, परिपद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, और इतने समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, यह निम्न किया जाएगा कि वे यह बताएँ कि वे प्राधिकरण के कर्मचारी बनने के लिए राजामन्व है या नहीं और एक बार विकल्प का प्रस्ताव करने पर वह अधिनियम होगा :

परन्तु उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश, परिपद के ऐसे किसी अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में जारी नहीं किया जाएगा जिसने इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राधिकरण का कर्मचारी न बनने के अपने आशय की सूचना दे दी है :

परन्तु यह और कि परिपद के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राधिकरण के कर्मचारी बनने का अपना आशय प्रकट नहीं करते हैं, उसी शर्तों से और जहाँ विधियों और स्थायी आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी जो परिपद के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने की दशा में परिपद के कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व लागू हुए होंगे।

(4) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अंतरित कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, अंतरण की तारीख से ही परिपद का कर्मचारी नहीं होगा और ऐसे पदानिर्धान में प्राधिकरण का अधिकारी या कर्मचारी बन जाएगा जो प्राधिकरण अवधारित करे और उपधारा (1) के परन्तुक के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पारिथमिक और सेवा की अन्य शर्तों के (जिनके अन्तर्गत पेंशन, छुट्टी, भविष्य निधि और चिकित्सा प्रमुविधायण भी हैं) संबंध में इन अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा शासित होगा और तब तक प्राधिकरण का अधिकारी यह अन्य कर्मचारी बना रहेगा जब तक उसका नियोजन प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है :

268

परन्तु जब तक प्राधिकरण के अधिकारियों का अन्य कर्मचारियों को सेवा की शर्तों को लागू करने का उचित विधि विनियम प्राधिकरण द्वारा नहीं बनाए जाते हैं तब तक परिष्कृत अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होने वाली सुसंगत विधियों और दायी आदेश उनको लागू बन रहे।

(5) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी विषय के बारे में, जिसके अन्तर्गत पारिश्रमिक, पेंशन, छुट्टियाँ, भविष्य विधि और चिकित्सा प्रसुविधाएँ भी हैं, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विहित सेवा के निबंधन और शर्तों, किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के प्राधिकरण में उसके अन्तरण के ठीक पूर्व उसके द्वारा धारित पद के संबंध निबंधनों और शर्तों से कम अनुकूल हैं तो इन विषय में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

9. प्राधिकरण की समितियाँ--(1) प्राधिकरण ऐसी समितियाँ नियुक्त कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन और कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों।

(2) प्राधिकरण जो वह शक्ति होगा कि वह ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं, उक्तों के माध्यम में जितनी वह ठीक समझे, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में सहभाषित करे और इन प्रकार सहभाषित व्यक्तियों को समिति के अधिनियमों में उपस्थित होने और उक्तों कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार दायी किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी समिति के सदस्यों के रूप में सहभाषित व्यक्ति, समिति के अधिनियमों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हक्कार होने जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किए जाएँ।

10. प्राधिकरण के श्र--(1) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे उपायों द्वारा, जो वह उचित समझे, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन, अनुसूचित उपायों के निर्वाह के विधान और संवर्धन का जिम्मा ले।

(2) उपधारा (1) के उपायों की सतत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्तमें निश्चित उपायों द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) संरक्षण और सतत्ता संबंधी अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने का प्रयत्न, संयुक्त प्रयत्नों के माध्यम से साधारण फंडों में भाग लेकर और अन्य अनुसूचितों और सहायकी स्कीमों के रूप में निधि के लिए अनुसूचित उपायों से संबंधित उद्योगों का विकास;

(ख) व्यापारों का अनुसूचित उपायों के निर्वाहकर्ताओं के रूप में ऐसी फीस का भी विहित जो उचित मंडाव किए जाने पर रजिस्ट्रीकरण;

(ग) निर्वाह के प्रयत्नों के लिए अनुसूचित उपायों के मातृक और निर्दिष्ट धर पर;

(घ) मातृक धर पर उपायों का किसी व्यवसाय प्राधिकरण समेत, अनुसूचित परिवार, धर पर या ऐसे अन्य स्थापनों में जहाँ ऐसे उपाय हो जाते हैं या उपायों के माध्यम से उपायों की वित्तीय सुनिश्चित करने के प्रयत्नों के लिए निर्दिष्ट उपाय।

(ङ) अनुसूचित उपायों के पुनर्निर्माण में सुधार करना;

(च) अनुसूचित उपायों के मातृक से बाहर निष्पन्न में सुधार करना;

252

(घ) अनुसूचित उत्पादों के निर्यातयोग्य उत्पन्न का संबंध और उत्पाद विपणन ;

(ज) अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रयत्नकरण, पैकेजिंग, विपणन या वितरण में लगे हुए कारखानों या स्थापनों के अधिकारों या ऐसे अन्य व्यक्तियों के, जो विहित किए जाएं, अनुसूचित उत्पादों के संबंधित किसी विषय पर आंकड़ों का संग्रहण और इस प्रकार संग्रहित आंकड़ों या उनके किन्हीं भागों का या उनसे उद्धरणों का प्रकाशन ;

(झ) अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण ;

(ञ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं ।

11. प्राधिकरण का अधिक्रमण करने की शक्ति--(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि प्राधिकरण उस कर्तव्य का, जो उस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किया गया है, पालन करने में असमर्थ है या उसके पालन में उसने लगातार व्यतिक्रम किया है अथवा अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है अथवा वह जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना, धारा 20 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण का ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रमण कर सकेगी :

पहले इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने के पहले, केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण को इस बात का हेतुक दशित करने के लिए कि उसका अधिक्रमण क्यों न किया जाए, युक्तियुक्त समर्थ देगी तथा प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी ।

(2) प्राधिकरण का अधिक्रमण करन वाली, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) प्राधिकरण के सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनमें पदावधि समाप्त नहीं हुई है, अधिक्रमण की तारीख से, ऐसे सदस्यों के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन, प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या पालन किया जा सकता है, अधिक्रमण की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा, जिसे या जिन्हें केन्द्रीय सरकार निदेश दे ;

(ग) प्राधिकरण में निहित सब सम्पत्ति, अधिक्रमण की अवधि के दौरान, केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि के अवसान पर, केन्द्रीय सरकार—

(क) अधिक्रमण की अवधि का ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए, जिसे वह आवश्यक समझे, विस्तार कर सकेगी ; या

(ख) प्राधिकरण का, धारा 4 में उपबंधित रीति से पुनर्गठन कर सकेगी ।

7

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण

12. निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण—(1) अनुसूचित उत्पादों में से किसी एक या अधिक उत्पादों का निर्यात करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस तारीख से जिसको वह ऐसा निर्यात करता है, एक मास के अख्यान के पूर्व या इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पूर्व, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्वकी हों, अनुसूचित उत्पाद या अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकर्ता के रूप में अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकरण को आवेदन करेगा :

प्राप्त प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण के लिए समय-सीमा को पर्याप्त कारण से अपनी शर्तों के लिए बढ़ा सकेगा जिसकी वह ठीक समझे ।

(2) एक बार किया गया रजिस्ट्रीकरण जब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक यह प्राधिकरण द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है ।

13. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, उसका रद्दकरण, उसके लिए संशेष फीस और उससे संबंधित अन्य विषय—धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन का प्रहण, ऐसे प्रावियों पर शर्तें फीस, ऐसे आवेदनों में सम्मिलित की जाने वाली विविधियाँ, रजिस्ट्रीकरण करने और उसे रद्द करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली रजिस्टर ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं ।

14. निर्यातकर्ताओं द्वारा विवरणियों का दिया जाना—(1) धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्यातकर्ता विहित समय पर और विहित रीति से प्राधिकरण को ऐसी विवरणियाँ देगा जो विहित की जाएं ।

(2) प्राधिकरण, इस धारा के अधीन दी गई किसी विवरणी को शुद्धता को न्यायित करने के लिए किसी प्रसंस्करण संयंत्र या निर्यातकर्ता के किसी अन्य स्थापन का किसी भी समय निरीक्षण करने के लिए किसी सदस्य या अपने अधिकारियों में से किसी को प्राधिकृत कर सकेगा ।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और लेखा परिक्षा

5. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान या उधार—केन्द्रीय सरकार, संघद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्बन्धित किए जाने के पश्चात्, प्राधिकरण को ऐसी धनसहायियों का अनुदान या उधारों के रूप में सहाय कर सकेगी जो केन्द्रीय सरकार का अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे ।

16. इधे और प्रसंस्कृत साधन उत्पन्न निर्यात विकास निधि का गठन—(1) इधे और प्रसंस्कृत साधन उत्पन्न निर्यात विकास निधि के नाम से एक निधि गठित जाएगी और उसमें निम्नलिखित अणु किए जाएंगे :—

(क) ऐसी अन्तराधियाँ जो केन्द्रीय सरकार, संघद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्बन्धित किए जाने के पश्चात् कृषि और प्रसंस्कृत साधन उत्पन्न निधि अधिनियम, 1985 (1986 का 3) की धारा 4 के अधीन अणु किए गए उधार-के-संग्रहण के व्यय और वापस की गई रकम की, यदि कोई हो, सुटीकी करने के पश्चात् अणुमें दे ;

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन अणु गए धियनों के अधीन रजिस्ट्रीकरण और अन्य विषयों को न्यायित उन्हीत और संग्रहीत सभी फीस ;

(ग) धारा 15 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए के लिए सरकार द्वारा किए गए कोई अनुदान या उधार; और

(घ) कोई अनुदान या उधार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य सरकार, प्रादेशीय संघका या अन्य संस्था द्वारा किए जाएं;

यदि विधि में ऐसा कोई अनुदान, उधार या हस्तांतरण के प्रकार के पूर्ण वर्णन के ही जमा किया जाएगा, अलग नहीं।

(2) विधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) धारा 10 में निरदिष्ट उपायों की समस्त को चुनना;

(ख) प्राधिकरण के, क्यास्थिति, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कार्मियों के आला, असे और अन्य पारिभाषिक को चुनना;

(ग) प्राधिकरण के अन्य प्रशासनिक खर्च और इस अधिनियम द्वारा का इसके अधीन प्राधिकृत अन्य खर्चों को चुनना; और

(घ) निर्यात उधार का प्रतिसंदाय करना।

17. उधार लेने की प्राधिकरण की शक्तियाँ—ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, प्राधिकरण को, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, रूपि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास विधि का हिस्से अन्य आस्ति की प्रतिभूति पर उधार लेने की शक्ति होगी।

18. लेखा और लेखा परीक्षा—(1) प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य लेखा अभिलेखा रखा और लेखाओं का एक आणित विकरण ऐसे प्रथम में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श उसके विहित करें।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपरान्त कोई अन्य प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होग।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को और प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में वे अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में माधान्यथा होते हैं और दिशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं, सम्बद्ध वाउचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्रों के पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमणित प्राधिकरण के लेखा और उनकी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजी जाएगी और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण

19. अनुसूचित उत्पादों के आयात और निर्यात को प्रतिषिद्ध या नियंत्रित करने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, संसद् में प्रकाशित आदेश द्वारा अनुसूचित उत्पादों के आयात या निर्यात को या तो साधोरेणतया या विनिर्दिष्ट वर्गों के मामलों में प्रतिषिद्ध, निर्वन्धित या अन्यथा नियंत्रित करने का उपकरण कर सकेगी।

(2) ऐसे सभी अनुसूचित उत्पाद, जिनमें उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश लागू होता है, ऐसे मातृ संस्थां जाएँ जिनका नियमित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 के अधीन प्रतिपिद्ध किया गया है और उस अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह, ऐसे किसी अधिहरण या शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए वह उपधारा (2) द्वारा यथा लागू सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के उपबंधों के अधीन दायी हो, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

20. केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश—प्राधिकरण ऐसे निदेशों का धारण करेगा जो उसे इस अधिनियम के दक्ष प्रकाशन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाएँ।

21. विवरणियाँ और रिपोर्टें—(1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे रूप में, तथा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए या जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, ऐसी विवरणियाँ और कथन तथा अनुसूचित उत्पादों के नियंत्रण के संवर्धन और विकास के लिए किसी प्रस्थापित या विद्यमान कार्यक्रम की धारण ऐसी विजिप्टियाँ देगा, जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर प्रोक्षा करे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाए, रिपोर्ट देगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके उत्पादकों, नीति और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण विवरण दिया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की प्रति, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

22. मित्या विवरणियाँ देने के लिए शक्ति—कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी विवरणी के दिए जाने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसी विवरणी देने में असफल रहेगा या ऐसी विवरणी देगा जिसमें ऐसी कोई विजिप्ति है जो भ्रष्टा है और जिसके बारे में यह जानता है कि वह भ्रष्टा है या विवरण नहीं करता है कि यह सत्य है, जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

23. प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को अपने कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुँचाने तथा बहियों और अभिलेख पेश करने में असफल रहने के लिए शक्ति—कोई व्यक्ति—

(क) जो बाधा द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी सदस्य को अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसके प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में या उस पर अधिनियमित किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुँचाएगा; या

(ख) जो किसी लेखा-बही या अन्य अभिलेख को जो उसके नियंत्रण या प्रोक्षा में है, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसी बही या अभिलेख को पेश करने की अपेक्षा किए जाने पर पेश करने में असफल रहेगा,

तो कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

245

में और ऐसी शर्तों-को, विधि-कोई हो, अंगीकृत करने हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे अधिकारों या प्राधिकरण द्वारा भी, जो उक्त विनिर्दिष्ट किया जाए प्रयुक्त की जा सकेंगी।

30. इस अधिनियम के प्रवर्तन का निलंबन—(1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समझाया ही जाता है कि ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न हो गई हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित कुछ निबंधन, अधि-रोपित नहीं किए जाने चाहिए, या यह ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी उपबन्धों का प्रवर्तन उक्त सीमा तक और अनिश्चित काल के लिए या ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित या शिथिल कर सकेगी।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का प्रवर्तन अनिश्चित काल के लिए निलंबित या शिथिल कर दिया गया है वहां ऐसा निलंबन या शिथिलीकरण किसी भी समय, अथवा यह अधिनियम प्रवृत्त रहता है केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हटाया जा सकेगा।

31. अन्य विधियों का लागू किया जाता बर्तित न होना—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अन्वेषण में।

32. निषेध बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रवर्तनों को कार्यन्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विधिबद्धता और पूर्णतमी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना, ऐसे नियम विमाननियम सभी विधियों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों की [जो धारा 4 की उपधारा (4) के तहत (ग) में निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न है] पदा-वधि और सदस्यों में होने वाली रिक्तियों को भरने के रीति और ऐसे सदस्यों द्वारा अपने दायों के निर्वहन में अग्रगण्य की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) वे शक्तियां जिनका प्रयोग और वे कर्तव्य जिनका पालन धारा 6 के अधीन प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक के रूप में अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा ;

(ग) वे शक्तियां जिनका प्रयोग धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के सदस्य द्वारा किया जा सकेगा और वे कर्तव्य जिनका पालन धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के सदस्य द्वारा किया जा सकेगा ;

(घ) यह निर्वाचन और वे निर्वाचन कितने इतने रहते हुए धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जा सकेंगे ;

(ङ) यह प्रत्येक कितने और वह काल जिनके भीतर धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन प्रबंधक याद नियति संसदन परिषद् के अधि-कारियों और कर्म-तत्वों द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा ;

(च) धारा 10 का धारा (2) के तहत (ग) के अधीन अनुसूचित जातियों के निमित्तियों के अतिरिक्त के लिए प्रायः का नियम ;

(छ) रखावियों के लिए वे कर्तव्य कितने अनुसूचित जातियों से संश्लिष्ट किसी कितने कावत आंकड़ों का संग्रहण, धारा 10 की उपधारा (2) के तहत (ग) के अधीन किया जा सकेगा ;

(ग) नै अतिरिक्त विषय विषयों को प्राधिकरण धारा 10 की उपधारा (2) के अंतर्गत (घ) के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उपलब्ध करवायेगा ;

(ज) धारा 13 के अंतर्गत रजिस्ट्रारों के लिए और रजिस्ट्रारों के अधिकारों के लिए प्रावधानों का प्रश्न और रीति, ऐसे प्रावधानों के संबंध में संबंधित प्रोविसन तथा रजिस्ट्रारों को करने और उसे रद्द करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे रजिस्ट्रारों को शक्ति करने वाली शर्तें ;

(झ) यह समग्र विषय पर और वह रीति जिसमें निर्वाचकता धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को निवारणियां देगा ;

(ट) वह प्रश्न जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के लिये रखा जाएगा ;

(ठ) वह प्रश्न जिसमें और यह रीति जिसमें और वह समय जिस पर प्राधिकरण धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को निवारणियां और कथन देगा ;

(ड) वह प्रश्न जिसमें और वह तरीका जिसके पूर्व प्राधिकरण धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन अपने विचारों और कार्यक्रमों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगा ;

(ड) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या किया जाए ।

33. विनियम बनाने की शक्ति—(1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की पूर्ण मंजूरी से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशाली करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों ।

(2) विशिष्टता और पूर्णगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) वे समय और स्थान जिन पर धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन प्राधिकरण या उसकी किसी समिति के अधिवेशन किए जाएंगे और उनमें अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उन सदस्यों की संख्या जिनसे किसी अधिवेशन में गणना होगी ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का ढंग, सेवा की शर्तें तथा वेतनमान और भत्ते ;

(ग) साधारणतया प्राधिकरण के कार्यकलापों का दक्ष संचालन ।

(3) केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा मंजूर किए गए किसी विनियम को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपांतरित या विखंडित कर सकेगी और इस प्रकार उपांतरित या विखंडित विनियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा किन्तु ऐसे किसी उपांतरण या विखंडन का उस विनियम के अधीन उसके उपांतरण या विखंडन से पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

34. नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथा-शीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की

